कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 960 राँची : 16/9/2022

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :– **धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. इस कार्यालय का पत्रांक 555 दिनांक 27.06.2022
2. आपका पत्रांक 1573 दिनांक 23.08.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 265 दिनांक 09.04.2020 एवं पत्रांक 199 दिनांक 02.03.2022 द्वारा किए गये पृच्छाओं के निराकरण के क्रम में पृच्छा सं0– 2, 3 एवं 5 का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

प्रासंगिक पत्र–2 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पृच्छा सं0–2 एवं 3 का अनुपालन किया गया है तथा पृच्छा सं0–5 के संबंध में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रयोक्ता अभिकरण से अब तक अप्राप्त रहने की सूचना दी गई है।

पूर्व में प्राप्त प्रस्ताव, की गयी पृच्छायें एवं समर्पित अनुपालन प्रतिवेदनों के सम्यक जांचोपरान्त प्रस्ताव में पुनः त्रुटियाँ पायी गयी है। पायी गयी त्रुटियाँ निम्नवत् हैं–

1. समर्पित संशोधित Site Inspection Report में 45.403 हे0 को Deemed forest land के रुप में दिखाया गया है, जबकि मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित Land Schedule में उक्त 45.403 हे0 भूमि को Disforested land के रुप में अंकित किया गया है। संशोधित Land Schedule समर्पित किया जाय जिस पर प्रयोक्ता अभिकरण एंव संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम संहित मुहर एवं हस्ताक्षर अंकित हो। इसे ऑनलाईन एवं ऑफलाईन समर्पित किया जाय।
2. अंचलाधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा सत्यापित Land Schedule, जो Online uploaded है, में प्रस्तावित वन भूमि का रकवा 97.166 हे0 अंकित है, जबकि प्रस्ताव के साथ Hard copy में समर्पित सत्यापित Land Schedule में प्रस्तावित भूमि का रकवा 99.985 हे0 (99.256 हे0 वन भूमि + 0.729 हे0 गैर वन भूमि) अंकित है। अतएव Online में सत्यापित Land Schedule को Update/Change करने की आवश्यकता है।
3. मूल प्रस्ताव के साथ कुल 106.00 हे0 का KML Files समर्पित है, जबकि 99.256 हे0 वन भूमि एवं 0.729 हे0 गैर वन भूमि कुल 99.985 हे0 भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। अतएव वन भूमि एवं गैर वन भूमि का अलग–अलग KML Files प्रस्तावित रकवा के आधार पर Online तथा CD के रुप में समर्पित किया जाय।
4. मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित Cost Benefit Analysis में प्रस्तावित वन भूमि का रकवा 97.166 हे0 दर्शाया गया है एवं उसी रकवा के आधार पर Report में Calculations की गई है। इसमें सुधार अपेक्षित है, क्योंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का रकवा 99.256 हे0 है।

   इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV revised rates दिनांक 06.01.2022 से प्रभावी है। अतएव Cost Benefit Analysis में NPV दर के आधार पर की गई गणना

16.09.2022

को संशोधित किया जाना अनिवार्य है। वर्णित दोनों बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित Cost Benefit Analysis Report समर्पित किया जाय।

5. आपके द्वारा Online filled Part-I एवं Part-II को ही Additional Documents के रुप में Online upload करते हुए Hard copy समर्पित किया गया है, जबकि अनुरोध किया गया था कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे गये Offline Form-Part-I (with Seal and Signature of User Agency) तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्तर से भरे गये Offline Form-Part-II (संबंधित पदाधिकारी द्वारा नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षरित) को Additional Documents के रुप में अंकित करते हुए ऑनलाईन अपलोड किया जाय तथा संबंधित अभिलेखों की Hard copy समर्पित की जाय। अतएव सुधार अपेक्षित है।

अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन Hard copy में वांछित अभिलेखों सहित समर्पित करने की कृपा की जाय तथा इसकी Online प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय। उल्लेखनीय है कि वांछित निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर द्वारा समर्पित Revised "Specific Recommendation" को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से Online upload किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 960 **दिनांक :** 16/9/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि ईंगित त्रुटियों के अनुपालन हेतु वांछित निराकरण प्रतिवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन, समर्पित करने के संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

16.09.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

16/09/2022

E:\Coash\Ashishji\Dhalbhum Airport\Correspondence To RCCF.Doc